झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–12/2025 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

विषयः– **राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 2,08,11,628/– (रू0 दो करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार छः सौ अठाईस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।**

का0प्र/लो(का)
e-gazette
01/12/2025

महाशय,

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत गोड्डा जिला में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में शैक्षणिक सत्र 2025–26 से पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में विद्युत आपूर्ति हेतु महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गिरिडीह का पत्रांक 1436 दिनांक 22.08.2025 के द्वारा तकनीकी प्रदत प्राक्कलन के आधार पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 19/योजना दिनांक 10.10.2025 के द्वारा रू0 2,08,11,628/– (रू0 दो करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार छः सौ अठाईस) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विषयांकित कार्य के निमित अबतक कोई भी राशि आवंटित नहीं की गयी है एवं प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोडड़ा के पत्रांक 125 दिनांक 19.11.2025 के द्वारा आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोडड़ा में विद्युत आपूर्ति के निमित विद्युत संयोजन के लिए कुल राशि रू0 2,08,11,628/– (रू0 दो करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार छः सौ अठाईस) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105– इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण– इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

   विपत्र कोड – 43S420202105060105 45

3. राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होगें एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अग्रिम निकासी करते हुए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, गिरिडीह, झारखण्ड को Online अंतरण (NEFT/RTGS) के माध्यम से Name of Beneficiary – JBVNL, Account No.- 3229201000344, IFSC Code CNRB0003229, Canara Bank, Giridih–815301, Pay I.D – DGR/PAYEE/67448 में जमा करेगें। अग्रिम की निकासी होने पर राशि के व्यय के पश्चात उसका विपत्र समायोजन संबंधी कार्रवाई नियमानुसार करते हुए महालेखाकार को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4. अग्रिम निकासी नहीं होने पर निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी के द्वारा संस्थान के IRG कोष से राशि की निकासी कर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उक्त वर्णित खाता में अंतरित की जायेगी तथा कार्य समाप्ति के पश्चात विपत्र के आधार पर विभाग द्वारा आवंटित राशि का कोषागार से आहरित कर IRG कोष में वापस जमा कर समायोजन कर दी जायेगी।
5. विषयांकित कार्य महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गिरिडीह झारखण्ड द्वारा विभाग को समर्पित प्राक्कलन के अनुसार विहित प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा।
6. प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा दो प्राध्यापकों की समिति बनाकर कार्य संबंधी संयुक्त प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2025 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2025/19/बजट /राँची, दिनांक– 28.11.2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोडडा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गिरिडीह, झारखण्ड/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.25
सरकार के प्रधान सचिव